न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 46/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2016/00126

उनवान

विजय सिंह पुत्र हरेत जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. केशव पुत्र रमेशचन्द जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोंडेंट।

2. किन्नो वेवा हरेत जाति बागरी ब्राहम्ण निवासी सिरस तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 11.07.2016 प्रकरण संख्या 20/15 उनवानी केशव बनाम किन्नो।

अभिभाषकगण :—

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 22.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध पेश की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिरस तहसील वैर में स्थित है। जिसमें वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट निष्फ हिस्से पर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। विवादित आराजी वादी/रैस्पो0 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी रही है। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट अन्य शक्स के बहकावे में आकर विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, वय, मुन्तकिल करना चाहते हैं व आये दिन विवादित आराजीयात को लेकर वादी/रैस्पो0 से झगडा फसाद करते हैं व विवादित आराजी से वादी/रैस्पो0 को बेदखल करने की धमकी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देते हैं। यदि प्रतिवादी/अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी/रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लिये आवश्यक तीनो तत्वो प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन नहीं किया है जो प्रार्थना पत्र धारा 212 के निस्तारण के लिये आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में माना है कि विवादित आराजी श्रीमती किन्नो को अपने पति स्व0 हरेत की मृत्यु के बाद विरासत से प्राप्त हुई है। परन्तु उनका निर्णय में यह कहना कि किन्नो की स्वःअर्जित सम्पत्ति नहीं है। कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। विवादित आराजी पति से प्राप्त होने के कारण, विवादित आराजी श्रीमती किन्नो की स्वःअर्जित सम्पत्ति है। इसलिये रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में अहम कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा 151 सीपीसी न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर में किया गया था जो निर्णय दिनांक 23.01.2018 से खारिज हो चुका है। वक्त बहस प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 सीपीसी के तहत निर्णय की प्रति भी पेश की गयी है, जो प्रार्थना पत्र 41 रूल 27 स्वीकार होने पर रिकार्ड पर ली गयी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवदेन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसे अपीलाण्ट दीगर शक्स को रहन, वय, मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया रैस्पो0 का विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में मुख्य रूप से स्वयं को हरेत का पौत्र बताते हुये, विवादित आराजी में अपने हित निहित होने एवं किन्नो जो कि वादी/रैस्पो0 की दादी है, को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा बहला फुसलाकर, स्वयं के पक्ष में रिलीज डीड करना कथन करते हुये, अपने दादा की सम्पत्ति से वंचित होने का दावा एवं उक्त दावे के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये, दौराने दावा अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। हम पाते हैं कि विवादित आराजी में पक्षकारो के हक एवं रिलीज डीड तरतीवी रैस्पो0 को बहला फुसलाकर अथवा अन्य किसी प्रकार से करवाई गयी है या नहीं, यह तथ्य साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना उपरांत दावे में तय होंगें। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–72 में अंकित विवादित आराजी पर तरतीवी रैस्पो0 किन्नो 1/3 हिस्से पर जो कि उसे अपने पति की मृत्यु के पश्चात् नियमानुसार प्राप्त हुई है, काबिज है। रैस्पो0, किन्नो के उक्त 1/3 हिस्से पर स्वयं का किन्नो के साथ कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु इस बाबत् कोई प्रमाण यथा खसरा गिरदावरी, बयान/गवाह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार कोई भी स्त्री जिसे कि चल या अचल सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है वह उक्त सम्पत्ति की अत्यांतिक अधिकारी रहेगी। अर्थात वह उक्त सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी है जिसे वह अपने अनुसार उपयोग–उपभोग में ले सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधिअनुसार किन्नो अपने 1/3 हिस्से को अपने अनुसार उपयोग–उपभोग करने की अधिकारिणी है एवं उक्त 1/3 हिस्से की पूर्ण स्वामिनी है एवं उनके द्वारा अपने उक्त हिस्से की रजिस्टर्ड रिलीज डीड अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गयी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला रैस्पो0 के पक्ष में ना होकर अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के पक्ष में साबित होता है। यदि अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाता है तो रैस्पो0 उक्त आदेश की आड में अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 को विवादित आराजी पर काश्त करने में अडचन पैदा करेंगें इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा सन्तुलन भी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के पक्ष में बखूबी साबित होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.07.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर